



497/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11118 /28/76/एक/2018-19

दिनांक : 26 फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-शाहजहांपुर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0423000109300440	IFSC Code PUNB0042300	168.652

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहांपुर	मो० गोदियाना में पलविन्दर कौर के मकान से करन के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	3.452	
2	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहांपुर	मो० गोदियाना में मंगल सिंह के मकान से टावर तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	10.881	
3	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहांपुर	मो० गोदियाना में रहमत के मकान से राजेश के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	23.070	
4	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहांपुर	मो० गोदियाना में शाहवाज नगर मार्ग से श्री रामस्वरूप व राकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	13.844	
5	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहांपुर	मो० गोदियाना में संजय श्रीवास्तव के मकान से नन्द किशोर व महेश के मकान होते हुए शाहवाज नगर मार्ग तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	17.812	
6	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहांपुर	मो० गोदियाना में राजवीर यादव के मकान से सीताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	3.808	
7	शाहजहांपुर	मु०अ०-37	न०नि०	मो० गोदियाना में संजय श्रीवास्तव के मकान	3.230	



497/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व गलिन बस्ती विकास योजनाद्वारा धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
			शाहजहापुर	से इकबाल सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।		
8	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो०फत्तेपुर रेती रोड पर सुदामा इण्टरकालेज के निकट बसंत बिहार कालोनी में मेन रोड से विद्या प्रकाश के मकान से सरोजनी के मकान तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	4.822	
9	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० सैनिक कालोनी में मनीष के मकान से मुरताव के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.139	
10	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० सैनिक कालोनी में राममूर्ति के प्लाट से देवेन्द्र पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.018	
11	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० सैनिक कालोनी में शैलेन्द्र के मकान से मनीष के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.956	
12	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० सैनिक कालोनी में आकाश श्रीवास्तव के मकान से खुशीराम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.924	
13	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० बृजबिहार कालोनी में सरदार जी के मकान से राजीव मिश्रा (पीली कोठ) के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.472	
14	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० बृजबिहार कालोनी में पंकज के मकान से राजपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.723	
15	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० तिलहरजई में नरेश मौर्या के मकान से पूता के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.048	
16	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०नि० शाहजहापुर	मो० तिलहरजई में बहादुर के मकान से जगवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.254	
17	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०प० रौजा	मो० मटिया कालोनी में मेन रोड से रेलवे माल गोदाम तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.326	
18	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०प० रौजा	मो० मटिया कालोनी में गुडडू के मकान से उत्तम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.639	

✓

[Signature]



497/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
19	शाहजहापुर	मु०अ०-37	न०प० रौजा	मो० मठिया कालेनी में मेन रोड पर राजेन्द्र पाल वाली गली में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.234	
	योग				168.652	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झुडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जाये कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जाये।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



497/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सामिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(सामिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक